संख्या–1516 / X–2–2018–12(104)2016

प्रेषक,

आर0के0तोमर
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 31 जुलाई, 2018**

विषयः– हल्द्वानी के अन्तर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं सफारी की चाहरदीवारी निर्माण के आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या–2548 / 3–5(हल्द्वानी जू) दिनांक 22.06.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हल्द्वानी के अन्तर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं सफारी की चाहरदीवारी निर्माण का उत्तराखण्ड पेयजल निगम ईकाई हल्द्वानी द्वारा गठित आगणन लागत ₹1546.41 लाख, टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण लागत ₹1384.61 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या–112 / X–2–2018–12(104)2016 दिनांक 19.01.2018 द्वारा अवमुक्त प्रथम किस्त की धनराशि ₹200.00 लाख के अतिरिक्त **वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय किस्त के रूप में ₹350.00 लाख (₹तीन करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि तत्काल कार्यदायीं संस्था निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. कार्य हेतु शासनादेश संख्या–112 / X–2–2018–12(104)2016 दिनांक 19.01.2018 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वित्तीय / भौतिक प्रगति उपलब्ध होने पर तदनुसार अगली वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
4. धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरो / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

..........2

8. कार्य एम.ओ.यू. में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम.ओ.यू. में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नही दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने में का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा तथा परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018—19 मे स्वीकृत आय—व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या—27 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 02—पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन, 110—वन्य जीवन परीरक्षण, 02—हल्द्वानी में जू निर्माण, 24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0—S1807270225 दिनांक 26.07.2018 संलग्न है।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0—519/3(150)—2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 के संदर्भ में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या—1516/ X—2—2018—12(104)2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल)
5. वित्त अनुभाग—4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 1516/X-2-2018-12(104)2016

अलोटमेंट आई डी - S1807270225

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -26-Jul-2018

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

110 - वन्य जीवन परिरक्षण

02 - हल्द्वानी में जू निर्माण (2406-01-800-48 से स्थानान्तरित

00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	35000000	35000000
	0	**35000000**	**35000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 35000000